प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 31 जुलाई, 2015

विषय- प्रदेश की 24 कारागारों में अतिरिक्त शौचालयों के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-20318/नम-3-शौचा0/2015, दिनांक-18.062015 एवं पत्र संख्या-22259/नम-3/2015, दिनांक 06.07.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश की 24 कारागारों के 228 ब्लाकों में (एक ब्लाक में 08 नग दिन शौचालय, सेप्टिक टैंक व सोकपिट सहित) अतिरिक्त शौचालयों के निर्माण हेतु उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए उक्त कार्य की रू0 22,43,52,000/-(रूपया बाइस करोड़ तिरालिस लाख बावन हजार मात्र) की लागत पर जनपदवार परियोजनाओं की पृथक-पृथक प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्न तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार प्रदान करते हैं। इस कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में लागत के सापेक्ष तालिका के कालम-5 में उल्लिखित धनराशि, जिसका कुल योग रू0 4,48,70,000/-(रूपया चार करोड़ अड़तालीस लाख सत्तर हजार मात्र) है, को आहरित कर व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0	कारागारों के नाम	ब्लाकों की संख्या (एक ब्लाक में 08 नग दिन शौचालय, सैप्टिक टैंक व सोकपिट का निर्माण)	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	जिला कारागार, फैजाबाद	09	88.56	17.71
2	जिला कारागार, बस्ती	07	68.88	13.78
3	जिला कारागार, बाराबंकी	07	68.88	13.78
4	जिला कारागार, गाजीपुर	03	29.52	5.90
5	जिला कारागार, बदायूँ	10	98.40	19.68
6	जिला कारागार, बिजनौर	06	59.04	11.81

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7	जिला कारागार, बलिया	03	29.52	5.90
8	जिला कारागार, हरदोई	03	29.52	5.90
9	जिला कारागार,गोरखपुर	12	118.08	23.62
10	जिला कारागार,रायबरेली	05	49.20	9.84
11	जिला कारागार,सीतापुर	10	98.40	19.68
12	जिला कारागार,उन्नाव	07	68.88	13.78
13	जिला कारागार,फतेहगढ़	04	39.36	7.87
14	जिला कारागार,इटावा	10	98.40	19.68
15	जिला कारागार,खीरी	13	127.92	25.58
16	जिला कारागार,अलीगढ़	08	78.72	15.74
17	जिला कारागार,एटा	09	88.56	17.71
18	जिला कारागार,ललितपुर	01	9.84	1.97
19	जिला कारागार, फिरोजाबाद	02	19.68	3.94
20	जिला कारागार,सुलतानपुर	13	127.92	25.58
21	जिला कारागार,गाजियाबाद	34	334.56	66.91
22	जिला कारागार, मेरठ	32	314.88	62.97
23	जिला कारागार,महोबा	04	39.36	7.87
24	जिला कारागार,बहराइच	16	157.44	31.50
	योग-	**228**	**2243.52**	**448.70**

(1) आगणन में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(2) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक कारागार की होगी तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

(4) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.12.2015 तक कर लिया जाय।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इन कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(9) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पूर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-051-निर्माण-04-कारागारों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार-24-वृहत निर्माण कार्य" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक- 30 मार्च,2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या-155/2015/880(1)/22-4-15-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) सम्बन्धित जिलाधिकारी।

(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in